24.9.25 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने
प्रा० पत्र 128 LR Act पर बहस करना
जाहिर किया। वकील प्रार्थीगण की बहस
को सुना गया। पत्रावली का ध्यान से
अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन व
अवलोकन पत्रावली, पत्रावली वास्ते आदेश
दिनांक 1.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

1.10.25 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बाद बहस प्रार्थी का
प्रा० पत्र धारा 128 LR Act स्वीकार योग्य
पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र
स्वीकार किया जाकर निस्तारित किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
मिसल रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख
में जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), दूदू, जिला–जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री रमेश कुमार, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 53/2025
प्रार्थना पत्र दायरी दिनांक : 05/06/2025
निर्णय दिनांक : ......01/10/2025..

1. इन्द्रा देवी पत्नी भागचन्द जाति जाट निवासी बोकड़ावास तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

–प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. रामू पुत्र सुवा जाति बलाई निवासी जड़ावता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
3. धन्ना पुत्र गोपी जाति बलाई निवासी जड़ावता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
4. बंशी पुत्र गोपी जाति बलाई निवासी जड़ावता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
5. हरजी पुत्र गोपी जाति बलाई निवासी जड़ावता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी

(अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थिति : **श्री रामजीलाल शर्मा**
श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री लोकेन्द्र सिंह राठौड़
श्री राहुल कुमावत
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 5

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक ......01/10/2025......

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढ़ी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के आराजी खाता संख्या 106 के आराजी खसरा नम्बर 906 रकबा 0.8500 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जड़ावता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

में स्थित है जिसके प्रार्थीया एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया की आराजी को लेकर पड़ौसी खातेदार काश्तकार प्रार्थीया के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 जो कि प्रार्थीया की आराजी के पड़ौसी काश्तकार है जो आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थीया से विवाद रखते है तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते है, मेर कोर को लेकर किसी प्रकार से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। इसलिए उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। उप तहसीलदार साखून के आदेश क्रमांक एलआर/25/8 दिनांक 25.04.2025 की पालना में दिनांक 16.05.2025 को उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया जा चुका है, बावजूद इसके पड़ौसी खातेदार काश्तकार सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं आये दिन मेर सींव को लेकर विवाद रखते हैं। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा अपनी सीमाओं से अधिक बढ़कर प्रार्थीया की आराजी की सीमाओं में आकर बाहजोत करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थीया को अपनी आराजी की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त आराजीयात प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या 1 में वर्णित जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के आराजी खाता संख्या 106 के आराजी खसरा नम्बर 906 रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जड़ावता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश उप तहसीलदार साखून को प्रदान कर जरिये पुलिस ईमदाद पुलिस थाना नरैना से पालना करवाई जाने की कृपा करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 08.09.2025 को अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब व दस्तावेज सूची पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 106, फर्द मौका सीमाज्ञान, नजरी नक्शा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 106 के अनुसार विवादित आराजीयात की प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा अन्य प्रस्तुत जमाबन्दीयों से अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 पड़ौसी खातेदार होना साबित होते है, चूंकि प्रार्थीया अपनी आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि पड़ौसी खातेदार प्रार्थीया की आराजीयात की मेर सींव को लेकर विवाद रखते हैं तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते है, उप तहसीलदार साखून के आदेश क्रमांक एलआर/2025/8 दिनांक 25.4.2025 की पालना में उक्त आराजीयात का दिनांक 16/05/2024 को सीमाज्ञान किया जा चुका है, इसलिये प्रार्थी ने अपनी

आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 ने विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में उठाये गये उज्र के बाबत् यह अलग से कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। लिये गये उज्र का इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया।

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि प्रार्थीया विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। इस प्रकार अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में पाया जाता है, जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि 2075 से 2078 के आराजी खाता संख्या 106 के आराजी खसरा नम्बर 906 रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जड़ावता तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 का उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू